की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहां पर शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, जैसे छात्र और छात्राओं के लिए महाविद्यालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां पर अधिशासी अभियन्ता (निर्माण) का भी हैड-क्वार्टर है। प्रस्तावित डिवीजन के ध्यान से यहां पर बहुत से रेलवे क्वार्टर्स भी बन गए हैं।

यहां यह बतलाना भी असंगत नहीं होगा कि चौपन आदिवासी हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। इसके समीप सिंगरौली कोयले की खानें तथा चार सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्राइवेट सैक्टर में भी हिन्डालको, रेणु पावर प्रोजेक्ट, कनोरिया कैमीकल्स संस्थान स्थित हैं। अत: मैं रेल मन्त्री जी से चौपन में डिवीजनल कार्यालय खोलने की मांग करता हूं।

(vi) Non-utilization of money given to Haryana Government for flood Control

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, बाढ़ देश के लिए सिर्फ प्रकृति का प्रकोप ही नहीं, बल्कि इसमें विवेक और क्रम का भी दोष है, जिसका ज्यादा सम्बन्ध सरकार से है।

पिछले साल जब हरियाणा में बाढ़ ने भयंकर रूप धारण किया तो उस सवाल को मैंने लोकसभा में गम्भीरता से उठाया। एक कमीशन मुकर्रर हुआ और मैं उस कमीशन के साथ घूमा। मुझे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कपिल मुनि आश्रम से लेकर पद-यात्रा करनी पड़ी।

राखी गांव में उस वक्त के कृषिमन्त्री श्री आर० एफ० बेग ने मेरे 377 के उत्तर में 20 करोड़ रु० बाढ़ रोकने के लिए मंजूर करने की चिट्ठी भेजी, तब मैंने पद-यात्रा समाप्त की और वह रुपया सैंटर ने हरियाणा को दिया। परन्तु अब तक उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ है।

जो बाढ़ निकालने के लिए नाले खोदने थे, पूरे नहीं खुदे, बीच में रह गये, गांवों बचाने के लिए जो रिंग बांध बंधने थे, वे सही नहीं बधे, बल्कि उनमें पानी के निकास और पानी डालने के पम्प भी नहीं लगे। मिसाल के तौर पर दुबल, कालरम, ढावल, काबेखा, भाना ब्रह्मणा, मोठ, नारनोंद इत्यादि। जिला जींद व हिसार के ऐसे गांव हैं। इस प्रकार से पानी सड़ भी सकता है और गांव प्यासा भी मर सकता है।

मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार एक जांच कमीशन मुकर्रर कर हरियाणा में जो व्यापक तौर पर इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जांच करे। रिंग बांध और सड़कों में नीचे पाइप लाइन लगाये जिससे कि पानी निकल सके और आ सके तथा जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए तथा बाढ़-पीड़ितों को जो अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

(vii) Granting finances for Banas Project to solve the drinking water problem in Jaipur

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी एवं विश्व-विख्यात गुलाबी नगरी जयपुर में पीने के पानी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। 12 अगस्त से पीने के पानी का राशनिंग राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। बीसवीं सदी से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जयपुर जिले में वर्षा की कमी के कारण रामगढ़ बांध में पानी का स्तर सिर्फ 34 फीट है, जो अधिक से अधिक दो महीने चलेगा। अगर जल्दी प्रभावी एवं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो जयपुर में हाहाकार मच जाएगा। यह एक अत्यन्त ही गंभीर समस्या है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए बहुत पहले बनास नदी से पानी लाने की योजना बनाई गई थी, परन्तु धनाभाव के कारण वह योजना खटाई में पड़ गई। पहले जयपुर की आबादी दो लाख थी, अब वह 12 लाख हो गई है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह जयपुर शहर की पीने के पानी की समस्या के स्थायी हल की दृष्टि से बनास योजना को पूरी करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाले एवं उसके लिए 2 करोड़ रु० तुरन्त मन्जूर करे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :**

(व्यवधान)

(viii) Providing adequate relief to flood affected people of Radhopur and Vaishali of Bihar

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं अत्यन्त लोक-महत्व के एक विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बिहार के वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखंड प्रत्येक वर्ष बाढ़ के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित रहता है। प्रतिवर्ष लाखों रुपए की फसल की बर्बादी होती है तथा हजारों एकड़ जमीन गंगा एवं गंडक की बाढ़ में कटती है तथा हजारों बेघरबार होते हैं। इस वर्ष भी गंडक का कटाव काफी जोरों पर है।

राघोपुर प्रखंड के छौकिया तेरसिया एवं हाजीपुर प्रखंड के हरवंशपुर गांव में मैं स्वयं गया था। 500 से अधिक घर गंडक में कट कर विलीन हो गए हैं। सैकड़ों परिवार गृह-विहीन हो गए हैं। एक हरिजन की मृत्यु हो गई है। बार-बार मांग करने के बावजूद सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार तत्काल राघोपुर एवं वैशाली जिला में बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिनका घर एवं जमीन कट गई है, उन्हें मुआवजा दे, कटाव को रोकने की व्यवस्था करे तथा गरीबों के बीच राहत-कार्य चलाए।

14.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF NATIONAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE AND NATIONAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Statutory Resolution regarding disapproval of the National Security (Second Amendment) Ordinance, 1984 (Ordinance No. 6 of 1984) Promulgated by the President on the 21st June, 1984 and National Security (Second Amendmennt Bill together.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur) : I beg to move :

> "This House disapproves of the National Security (Second Amendment) Ordinance, 1984 (Ordinance No. 6 of 1984) promulgated by the President on the 21st June, 1984."

Before making my case why I oppose this Ordinance, I would like to deal with the Statement explaining the circumstances which had necessitated the promulgation of the National Security Ordinance 1984, which the hon. Home Minister presented to the House on 25th of July. So, in the Statement, the Home Minister says that the Ordinance was necessitated because the State Governments have been asking for amendments to certain provisions of the National Security Act in the light of the practical problems that have been encountered in implementing the provisions of the Act, especially in areas where conditions are generally disturbed. The National Security Act was passed by this House in December 1980 following an ordinance that was issued in September, 1980. Between September 1980 and April, 1984, in other words, for almost a little over 3.1/2 years, the State Governments, the Central Government and all those who were concerned with implementing this law, must have been concerned with the changes that this law needed according to their wisdom. In April, 1984 when the Government came forward with a Bill to amend the law and that Bill was passed by this House again—thanks to their steamroller majority over there—one would have assumed that whatever suggestions and recommendations, etc. in order to streamline this law and to make it more effective must have been received by you. What is that happened between April, 1984 and 21st of June, 1984 i.e. about 2.1/2 months time that makes the

**Not recorded.